

18-6-2025

प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी के वकील अनुपस्थित।
प्रार्थी के वकील ने इस प्रार्थना पत्र को पुनः पेश करने के
अधिकार को सुरक्षित रखते हुए विद्रा (Withdra) किया है।
अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान
पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी जरिये विद्रा
(Withdra) खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

प्रति. जिला कलक्टर
सिरोंही (राज.)

पुनः पेश
करने के
आधिकार को
सुरक्षित रखते
हुए विद्रा
किया गया
है।
92